मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2014 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 (अग्रहायण 19, 1936)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए पटल पर रखेंगी.

(2) श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन –

(क) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अंतर्गत मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अंतर्गत 20 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013, तथा

(ख) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 35 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा 2012-2013 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री उमंग सिंघार, हेमन्त विजय खण्डेलवाल, सदस्य, प्रदेश में प्री-फेब्रिकेटेड पंचायत भवन के निर्माण में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, सतना के न्यू अर्जुन नगर निवासी एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का चौंतीसवां से सैंतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री नीटू सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के-
(क) ग्राम अर्जुन कापुरा में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने,
(ख) ग्राम नाहरदौकी के गंदे पानी की निकासी हेतु नाला निर्माण किये जाने,
(ग) ग्राम छुलावद, भगतपुरा तक सड़क निर्माण किये जाने,
(घ) ग्राम सिघौरा से ग्राम धमकन तक सड़क निर्माण किये जाने,
(ड.) ग्राम लोकमन कापुरा तक सड़क निर्माण किये जाने,
(च) ग्राम खेरे बाले के बैहड़ कटाव को शीघ्र रोके जाने,
(छ) ग्राम टीकैत पुरा से सीताराम बाबा के स्थान तक सड़क निर्माण किये जाने,
(ज) ग्राम जखौना मार्ग मजरा बागकापुरा से रायपुर तक सड़क निर्माण किये जाने,
(झ) ग्राम नहरावली के कटाव को रोके जाने,
(ञ) ग्राम परा से मुंदावली तक सड़क निर्माण किये जाने, तथा
(ट) ग्राम निटहरा से कीतरपुर तक सड़क निर्माण किये जाने,

(2) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के-
(क) ग्राम देवरी में शासकीय भवन निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम सूकवारा में खाद्यान्न वितरण हेतु उप केन्द्र खोले जाने,
(ग) ग्राम तेंदूखेड़ा में सिविल न्यायालय प्रारंभ किये जाने,
(घ) ग्राम हर्रई से बरांश तक सड़क का निर्माण किये जाने,
(ड.) ग्राम लिंगा से खुलरी तक सड़क का निर्माण किये जाने,
(च) ग्राम छवारा में नवीन माध्यमिक शाला का भवन निर्माण किये जाने,
(छ) ग्राम मर्रावन में माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने, तथा
(ज) ग्राम पंचायत तेंदूखेड़ा में शासकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

-2-

निर्धारित समय

6. वर्ष 2014-2015 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

"दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 72, 73, 74, 76, 77 एवं 78 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर आठ हजार नौ करोड़, सड़सठ हजार रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

2 घन्टे 30 मि.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-7) विधेयक, 2014 (क्रमांक 26 सन् 2014) का पुर:स्थापन* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) श्री अंतर सिंह आर्य, श्रम मंत्री, मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 24 सन् 2014) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) श्री अंतर सिंह आर्य, श्रम मंत्री, मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 25 सन् 2014) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 27 सन् 2014) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(5) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 28 सन् 2014) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(6) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 29 सन् 2014) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(7) श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 30 सन् 2014) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(8) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 31 सन् 2014) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

30 मि. (9) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 21 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (10) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 22 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (11) श्री अंतर सिंह आर्य, श्रम मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 23 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. प्रदेश में यूरिया, डी.ए.पी. और अन्य खाद की कमी एवं कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री जीतू पटवारी, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 9 दिसम्बर, 2014

***अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.**